कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

संख्या 16037(I)/दस-185/शी0नी0/99-2000/ इलाहाबाद: दिनांक: जनवरी 28, 2000

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 19893/दस-185/शी0नी0/97-98, दि0 19.12.97 एवं आदेश संख्या-19077/दस-185/शी0नी0/98-99, दि0 11.1.99 के क्रम में मैं, प्रवीर कुमार शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा-8§1§ में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित आदेश करता हूँ:--

वर्तमान शीरा वर्ष 1999-2000 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे में से 80% शीरा विक्रय हेतु नियंत्रण से मुक्त रहेगा, तथा पूर्व की भाँति केवल 20% शीरा देशी शराब की थोक आपूर्तक आसवनियों को आवंटन हेतु आरक्षित रहेगा । प्रदेश में उत्पादित फ्री-सेल शीरे तथा इससे निर्मित अल्कोहल को प्रदेश से बाहर निर्यात् के लिए पूर्ण छूट रहेगी। इस प्रकार 80% नियंत्रण-मुक्त शीरे में ही अन्य राज्यों को निर्यात् भी सम्मिलित रहेगा । प्रश्नगत संशोधन उ0प्र0 अध्यादेश सं0-2 सन् 2000, दिनांक 25 जनवरी, 2000 द्वारा प्रख्यापित कर दिया गया है ।

कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

§ प्रवीर कुमार §
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या 16037(II) /दस-185/शी0नी0/99-2000/ तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

1. सचिव, उ0 प्र0 शासन, आबकारी विभाग, लखनऊ ।
2. आबकारी आयुक्त कैम्प कार्यालय, लखनऊ ।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार/समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उप आबकारी आयुक्त§विधि§मुख्यालय एवं मेरठ ।
6. सहायक आबकारी आयुक्त§विधि§, लखनऊ ।
7. समस्त उप आबकारी निरीक्षक/अध्यासी समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
8. अध्यक्ष, उ0प्र0 चीनी मिल एसोसिएशन, लखनऊ ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम, लि0, लखनऊ ।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी, आबकारी आयुक्तालय, इलाहाबाद ।

§ प्रवीर कुमार §
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।